

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001

संद- पीएनईसीआई/2017

दिनांक 16 मार्च, 2017

विषय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता-तत्सम्बन्धी।

प्रेस नोट

1. भारत निर्वाचन आयोग ने यह पाया है कि गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राज्य विधानसभाओं के हाल में आयोजित आधार निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के उपरांत, कुछ राजनीतिक दलों ने, उक्त निर्वाचनों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में हेर-फेर किए जाने का आरोप लगाते हुए भारत निर्वाचन आयोग की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईसीआई-ईवीएम) की विश्वसनीयता के विरुद्ध आवाज उठाई है। एक अभ्यावेदन बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के राष्ट्रीय महासचिव से बिना कोई विनिर्दिष्ट आरोप के 11.03.2017 को प्राप्त हुआ था। आयोग ने अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए 11.03.2017 को ही बसपा को विस्तृत प्रत्युत्तर दे दिया है। आयोग का उत्तर www.eci.in पर उपलब्ध है।

2. ईसीआई-ईवीएम के साथ कथित रूप से हेर-फेर किए जा सकने के बारे में ऐसी चिंताएं हले भी, इनकाट प्रचलन शुरू करने के समय से ही और उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी उठाई जाती रहीं हैं। आरोप खारिज कर दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग साफ-साफ शब्दों में दोहराता है कि कारगर तकनीकी एवं प्रशासनिक रक्षोपायों को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हेर-फेर किए जाने लायक नहीं हैं और निर्वाचकीय प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा परिरक्षित है।

3. इस विषयक कुछेक तथ्यों पर एक बार फिर गौर करना नागरिकों एवं सभी संबंधितों की सूचना के लिए उपयोगी होगा।

4. ईवीएम की पृष्ठभूमि

मतदात्रों के इस्तेमाल से जुड़ी कतिपय समस्याओं को दूर करने और प्रौद्योगिकीय प्रगति का इस दृष्टि से फायदा उठाने के उद्देश्य से कि मतदाता बिना किसी परिणामी असंदिग्धता के अपने मत सही तरीके से डालें और अमान्य मतों की संभावनाएं दूर रह सकें, आयोग ने दिसंबर, 1977 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का विचार प्रस्तुत किया। संसद द्वारा विधिवत दिसंबर, 1988 में संशोधन किया गया और वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल करने के लिए आयोग को समर्थनाने हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में एक नई धारा 61क अंतर्स्थापित की गई। संशोधित उपबंध 15 मार्च, 1989 से लागू हुए।

केन्द्रीय सरकारके जनवरी, 1990 में कई मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय त्दलोंके प्रतिनिधियोंके बनी निर्वाचकीय त्दुधाट समिति नियुक्तकी। निर्वाचन त्दुधारा त्दमितिमें और आगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनोंके मूल्यांकन के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ त्दमिति गठन किया। त्दमिति त्दस निष्कर्ष पर पहुंची त्दके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें एक सुरक्षित त्दणाली हैं। इसलिए, विशेषज्ञ त्दमितिमें अप्रैल, 1990 में त्दसर्वसम्मतिमें त्दविना त्दकोई त्दसमय त्दंवा एलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल करने की सिफारिश की।

5. वर्ष 2000 से त्दलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनोंका त्दराज्य त्दविधान त्दभाओंके 107 साधारण निर्वाचनों और 2004, 2009 और 2014 में आयोजित हुए लोक सभा के 3 साधारण निर्वाचनों में इस्तेमाल हो चुका है।

6. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल पर न्यायिक निर्णय

ईवीएम के साथ संभावित हेर-फेर करने का मामला 2001 से विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष उठाया गया है जैसाकि नीचे उल्लिखित है:

(क) मद्रास उच्च न्यायालय-2001

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय-2004

(ग) कर्नाटक उच्च न्यायालय-2004

(घ) केरल उच्च न्यायालय-2002

(ङ) बंबई उच्च न्यायालय (नागपुर पीठ)-2004

उपर्युक्त त्दभी उच्च न्यायालयों ने भारतमें निर्वाचनोंमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनोंके इस्तेमालमें शामिल त्दौद्योगिकीय पूर्णता एवं त्दशासनिक त्दपायोंके त्दसभी त्दहलुओं त्दर ठौर करने के त्दबाद त्दह त्दअभिनिर्धारित किया है कि भारतमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें त्दामाणिक, विश्वसनीय और हेर-फेर त्दके त्दजाने से त्दपूर त्दतर हट सुरक्षित हैं। त्दइनमें त्दसे त्दकुछेक मामलोंमें, उच्चतम न्यायालयने भी उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध कुछ त्दयाचिकाकर्ताओं द्वारा त्ददायरकी गई अपीलोंको खारिज कर दिया है।

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि त्दयह त्दआविष्कार त्दनिस्संदेह त्दलेक्ट्रॉनिक एवं कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में एक महान त्दपलब्धि है और यह एक राष्ट्रीय गौरव है। कर्नाटक उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय दोनों ने टिप्पणी की है कि निर्वाचन में ईवीएम के इस्तेमालके मत पत्र/मत पेटी निर्वाचन त्दकी त्दणालीकी त्दतुलनामें त्दअनेक त्दफायदे हैं। माननीय मद्रास उच्च न्यायालयने त्दईवीएममें हेर-फेर त्दके त्दजाने की त्दकिसी भी शंका से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर त्दध्यान दिया जा सकता है।

“कोई त्दभी त्दवाइर त्दस त्दया त्दख ग त्दस त्दकारण त्दसे त्दपार त्दभ करने का त्दभी कोई त्दश न त्दहीं है कि ईवीएमकी किसी त्दपर्सनल कम्प्यूटर से त्दतुलना त्दहींकी जा सकती है। कम्प्यूटरों में प्रोग्रामिंग त्दका, जैसा त्दके सुझाया गया है, ईवीएमसे कोई त्दसरे त्दकार नहीं है। त्दइंटरनेट कनेक्शन वाले कम्प्यूटर की अंतर्निहित त्दसीमितताएं होंगी त्दऔर वे अपनी त्दअभिकल्पना त्दसे त्दही त्दप्रोग्राम त्दमें त्दपरिवर्तन करने की त्दअनुमति त्ददे सकती हैं त्दलेकिन त्दईवीएम त्दस्वतंत्र त्दका त्दईयां हैं और ईवीएमका प्रोग्राम त्दपूर त्दतर ह त्दसे एक त्दभिन्न त्दणाली है।”

ऐसे मामलों में से किसी एकमें माननीय केरल उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक **6.2.2002** में मैकेनिज्म की दक्षता पर अपनी सराहना अभिलिखित की है। उक्त निर्वाचन आचार्यिका में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील (एआईआर 2003 उच्चतम न्यायालय 2271)** में मान्य ठहराया गया था।

विभिन्न न्यायालयों के समक्ष यह अस्वीकृत किया गया है कि भारत में टीवी एम में प्रयुक्त डाटा तकनीक पाइरेसी के अधीन नहीं थी क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की विषयवस्तु के बारे में कुछ भी नहीं जानता है या किसी भी व्यक्ति की ईवीएम तक अनधिकृत या बेरोकटोक पहुंच नहीं है।

तदुपरांत, राजनीतिक दलों द्वारा लोक सभा के साधारण निर्वाचन, **2009** के बाद फिर यह कहते हुए विवाद खड़ा किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें टूटि मुक्त नहीं थीं और इनमें छेड़छाड़ किए जाने की टिप्पणी गुंजाइश है। हालांकि, न तो कोई विनिर्दिष्ट आरोप लगाया गया था और न ही वे किसी न्यायालय के समक्ष आविर्भाव कर पाए।

कुछ एक्टिविस्टों ने **2009** में उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखी। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष जाने की सलाह दी। यह तभी हुआ कि इन एक्टिविस्टों ने संवाद करने की शुरुआत की और आयोग ने हर किसी को खुली चुनौती दी कि वे यह प्रदर्शित करके दिखाएं कि आयोग की स्वामित्व वाली मशीनें हेर-फेर किया जा सकता है। हालांकि, आयोग द्वारा मौका दे दिए जाने, मशीनें खोली जाने और तैर कर कल-पुरजे दिखाए जाने के बावजूद कोई भी व्यक्ति भारत निर्वाचन आयोग के मुख्यालय में मशीनें के साथ किसी भी प्रकार की हेर-फेर किए जा सकने का प्रदर्शन नहीं कर सका। इन कार्यवाहियों की वीडियोग्राफी भी की गई थी।

एक असाधारण उपाय के रूप में आयोग ने उन लोगों को आमन्त्रित किया जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनें (ईवीएम) पर आपत्तियां व्यक्त की थीं और उनसे कहा गया कि वे आंग्रे और **3 से 8 अगस्त, 2009** तक लगाए गए अपने आरोपों में उल्लिखित बिन्दुओं को प्रदर्शित करें। जिन्हें आमन्त्रित किया गया उनमें राजनीतिक दल, विभिन्न न्यायालयों के समक्ष याचिकाकर्ता और कुछ व्यक्ति विशेष जो इस विषय पर आयोग को लिख रहे थे, शामिल थे। एक्सपर्ट्स ईवीएम सत्राज्यों में आमतौर पर आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिल नाडु और उत्तर प्रदेश से मंगवाई गईं और उन्हें जांच तथा कथित अविश्वसनीयता सिद्ध करने की प्रयोज्यता के लिए आयोग के कार्यालय में तैयार रखा गया। टीवी एमों को एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह तथा टीवी एम विनिर्माताओं की ईएल तथा सीआईएल का प्रतिनिधित्व करने वाले इंजीनियरों की उपस्थिति में ऐसे प्रदर्शन के लिए प्रस्तुत किया गया। इस प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि जिन व्यक्तियों को अवसर दिया गया था उन में से कोई भी ईसीआई-ईवीएमों के साथ कोई छेड़छाड़ किए जाने वाले लक्षणों को वास्तव में प्रदर्शित नहीं कर सका। वे या तो असमर्थ हो गए या उन्होंने प्रदर्शन करने से इन्कार कर दिया।

तब कुछ सक्रियतावादियों ने टीवी चैनल पर एक मशीन को दिखाया जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि उसके साथ गडबड़ी की जा सकती है। भारत निर्वाचन आयोग ने आरोप का प्रतिकार किया कि यह मशीन मुंबई में ईवीएम गोदाम से चुराई गई थी और इससे सक्रियतावादियों से कुछ परिवर्तन किए और इस प्रकार अब यह वोट मशीन नहीं थी जो भारत निर्वाचन आयोग प्रयोग में लाता है।

वर्ष 2010 में, असमत्प्रथात्मिलनाडु सेकुछ राजनीतिकदलोंको छोडकर, सभीडे भारतवनिर्वाचनट आयोग द्वारा आयोजित एक बैठक में ईवीएमों की कार्यप्रणाली पर संतुष्टि व्यक्त की। इस चरण में, इसके और आगेट अनुसंधान के लिए वीवीपीएटी का विचार प्रस्तावित किया गया।ट

वर्ष 2009 में, माननीयटदिल्लीउच्चटन्यायालयके समक्षटएकटमामलेटमेंटईवीएमके साथ छेडछाड के सभीटूर्वटारोपोंको उठाया गया।टहालांकिमाननीयटदिल्लीउच्चटन्यायालय, भारतवनिर्वाचनटआयोग केटविस्तृत उत्तर से संतुष्ट थाटकि किसटकारटईवीएमके साथटछेडछाडनहींकी जा सकतीटऔरटभारतवनिर्वाचनट आयोग के वीवीपीएटी विकसित करने से वर्ष 2012 में मामला निर्णीत हो गया और उसका निस्तारण हो गया किट वीवीपीएटी राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करके विकसित की जाए।ट

7. ईसीआईद्वाराटयुक्त ईवीएमोंकी तकनीकी सुटक्षाट

(क) इस मशीनके साथटछेडछाड करनेटइसमेंटाडबडी करनेसे रोकने के लिए इसे इलेक्ट्रानिक रूप से संरक्षित किया जाता है। इन मशीनोंमें प्रयुक्तटोग्रामट(सॉफ्टवेयर) को एक-बारगी प्रोग्रामेबलट(ओटीपी)/मास्कड चिप में बर्न किया जाता है ताकि इसे बदला या इससे छेडछाड न की जा सकेटइसके अतिरिक्तटइन मशीनोंको किसिटअन्यट मशीनटया सिस् टम द्वाराटआयर या वायरलेस से नेटबद्धनहींकियाजाताहै। अतः, इसमेंटडाटा विकृत होने की कोईट संभावना नहीं है।ट

(ख) ईवीएम के सॉफ्टवेयर को बीईएलट(रक्षा मंत्रालय का पीएसयू) और ईसीआईएलट(परमाणु उर्जा मंत्रालयट का पीएसयू) में एक दूसरे से भिन्न इंजीनियरों के चयनित समूह द्वारा इन-हाउस रूप से तैयार किया जाता है। दो-तीनटइंजीनियरोंकाटद्वुर्निदासॉफ्टवेयरटडवलपमेंट समूहकोसंकोडतैयारकरताहै औरटइस कार्य को उप संविदाट पर नहीं दिया जाता है।ट

(ग) सॉफ्टवेयरटडिजाइन के पूर्णटहोतजाने के पश्चाट सॉफ्टवेयरटअपेक्षाओं के विनिर्देशोंट(एसआरएस) के अनुसार स्वतंत्रटरीक्षण समूह द्वारासॉफ्टवेयरका मूल्यांकन और परीक्षण कियाजाताहै। यह सुनिश्चित करताट है कि सॉफ्टवेयरको इसकेटअभीष्ट टप्रयोग के लिए निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है।ट

(घ) ऐसे मूल्यांकन के सफलतापूर्वकटपूर्णटहोतजाने के पश्चाट, सोर्स प्रोग्रामकाटमशीनकोडमाइक्रोकंट्रोलरट विनिर्माता को दिया जाता है ताकि इसे माइक्रो कंट्रोलर में राइट कियाजा सके। इस मशीनकोड से सोर्स कोड कोट पढा नहीं जा सकता। सोर्स कोड को कभीभी पीएसयूके सॉफ्टवेयर समूहके बाहरटकिसिटको भी सुपुर्दनहीं कियाट जाता है।ट

(ङ) प्रारंभटमाइक्रोकंट्रोलर विनिर्मातामूल्यांकन हेतु पीएसयूकोटइंजीनिरिंगमूने उपलब्धकरताहै।ट इनमूनको ईवीएममें एसेम्बल कियाजाताहै, उनकाटमूल्यांकन कियाजाताहै और व्याप्तक रूप से इसकीट प्रकायत्मकताहैतु सत्यापनटकियाजाताहै। इस सत्यापन के सफलतापूर्वकटसमापनके पश्चाट ही पीएसयूद्वाराट माइक्रो कंट्रोलर विनिर्माता को थोक में इसका उत्पादन करने की सहमतिटदी जातीहै।ट

(च) हरसमयईवीएमके लिए सोर्स कोड को नियंत्रितपरिस्थितियोंमें रखाजाता है। यह सुनिश्चितकरने के लिए कि इसकी पहुंच केवल प्राधिकृत व्यक्तियों तक ही हो, नियंत्रण और संतुलन बनाया जाता है।

(छ) फैक्ट्री में उत्पादन के दौराननिर्धारितगुणवत्ता योजनाऔर कार्यनिष्पादन परीक्षण प्रक्रियाओंके अनुसार, उत्पादन समूहद्वाराक्रियात्मक परीक्षण कियाजाताहै।

(ज) सॉफ्टवेयरको इस प्रकारसे डिजाइन कियाजाताहै कि यह मतदाताको केवल एकबार ही मतडालने की अनुमति देता है। पीठासिद्ध अधिकारिकंट्रोल यूनिट पर बैलेट को सक्षम बनाने के पश्चात ही बैलेट यूनिट से निर्वाचक द्वारा वोट रिकार्ड किया जा सकता है। मशीनकिसीभी समयआहरसे कोईसिग्नल प्राप्तअहींकरती है।अगलावोट तभीरिकार्डकियाजासकताहैजबपीठासीनअधिकारिकंट्रोलयूनिट पर बैलेट को सक्षमकरके बना देता है। इस बीच मशीनआहरके किसीभी सिग्नल(कंट्रोल यूनिट को छोड़कर) के प्रतिनिष्क्रियहो जातीहै।

(झ) गुणताआश्वासनसमूह, जोकिटीएसयूओंके मध्यएकस्वतंत्रटैकर्टिकै, के द्वाराउत्पादनचैचोंसे ईवीएमों के नमूनोंकी नियमितजांचकी जातीहै।

(ञ) ईसीआई-ईवीएम में वर्ष2006 में कुछ अतिरिक्त विशिष्टियां प्रारंभ की गई थीं यथा बैलेट यूनिट (बीयू) औरकंट्रोलयूनिट (सीयू) केबीचडाइनेमिककोडिंग, रियल टाइमलॉकलगाणा, फुलडिस्पलेट(पूर्णदर्शन) प्रणाली लगाना और ईवीएम में प्रत्येक की-दबाने का समय एवं तारीखका मुद्रांकन करना।

() वर्ष2006 में तकनीकीमूल्यांकन समितिसे निष्कर्ष निकालाकि वायरलेसटया बाहरिया ब्लूथ अथवा वाईफाई के माध्यम से कोडेड सिग्नल द्वारा कंट्रोलयूनिट से किसीप्रकारकी छेड़खानी नहींकी जा सकतीक्योंकि कंट्रोल यूनिट में उच्च आवृत्ति रिसीवर और डाटाडीकोडर नहींहै। कंट्रोल यूनिट केवल बैलेट यूनिट से विशेष रूप से कोडीकरण किए गए और डायनेमिक रूप से कोडेड डाटा को ही स्वीकार करता है। कंट्रोल यूनिट द्वाराकिसीभी प्रकार के बाहरिस्त्रोत का कोई भी डाटास्वीकार नहींकियाजा सकताहै।

8. ईसीआई-ईवीएम की विलक्षणता

कुछ राजनैतिक दलों ने कहा है कि कुछ बाहरिदेशों में ईवीएम का प्रयोग बंद कर दिया गया है। आयोग के समक्ष ईसीआईईवीएम और बाहरिदेशों में प्रयुक्तईवीएम की तुलनाकी गई है। ऐसी तुलनाठालतऔर गुमराहट करने वालीहै। ईसीआई-ईवीएमअपने आप में एक विशिष्ट मशीनहै। इसलिएईसीआई-ईवीएम की अन्यदेशों की मशीनोंसे तुलनाअहींकी जा सकतीहै।

- (क) अन्यदेशोंमें प्रयुक्तअहुत सी प्रणालियांअंतरने कनेक्टिविटीआहितकम्प्यूटरआधारितहैं। अतः, इनकीआसानसे हैकिंग की जा सकतीहै।
- (ख) जैसा कि ऊपरकहायाहै ईसीआईईवीएम चिपमें सॉफ्टवेयरएक-बारगी प्रोग्रामेबल (ओटीपी) है औरउत्पादनकेसमयहीसे चिपमेंअर्नकरदियाजाताहै। निर्माण के पश्चात् चिपपर कुछअति लिखाअहींजा सकताहै।इसलिएईसीआई-ईवीएमआहरके विभिन्नदेशोंमें अपनाईआई मतदान तशीनों तथा प्रक्रियाओं से मूल रूप से भिन्न है।

(ग) विदेश अध्ययन या अन्यत्र प्रयोगकिए जाने वाले ईवीएम पर आधारित अपरेटिंग सिस्टम पर आधारित कोई भी अनुमान पूर्णतः भ्रान्तिपूर्ण होगा। ईसीआई-ईवीएम की तुलना उन ईवीएम से नहीं की जा सकती।

9. प्रक्रियात्मक तथा प्रशासनिक सुरक्षा

आयोग ने किसी भी संभावित दुरुप्रयोग या प्रक्रियात्मक खामियों का निवारण करने के उद्देश्य से सुरक्षा उपायों तथा प्रक्रियात्मक नियंत्रण एवं संतुलन की व्यापक प्रशासनिक व्यवस्था की है। इन सुरक्षा उपायों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों तथा उनके प्रतिनिधियों के सक्रिय तथा दस्तावेजी समावेशन सेट प्रत्येक स्तर पर टपारदर्शी रूप से टलागूट किया जाता है ताकि ईवीएम की क्षमता तथा विश्वसनीयता पर उनका विश्वास बनाया रखा जाए। ये सुरक्षा उपाय हैं-

(क) प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्माण कक्षाओं के इंजीनियरों द्वारा निर्वाचन में प्रयोग किए जाने वाले प्रत्येक ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) की जाती है कि किसी भी गड़बड़ वाले ईवीएम को अलग रख दिया जाय और तब से निर्वाचन में प्रयोग नहीं किया जाता।

(ख) निर्माणकर्ता प्रथम स्तरीय जांच के समय तय हट प्रमाणित करते हैं कि ईवीएम में लगे सभी उपकरण वास्तविक हैं। इसके पश्चात, ईवीएम के कंट्रोल यूनिट के प्लास्टिक कैबिनेट को टॉपिक पेपर सील का प्रयोग करके मुहरबंद किया जाता है, जिस पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है और इसे स्ट्रॉंगरूम में रखा जाता है। सत्वरण के पश्चात, ईवीएम की कंट्रोल यूनिट के प्लास्टिक कैबिनेट को खोला नहीं जा सकता। ईवीएम के अन्दर के किसी भी उपकरण को देखा नहीं जा सकता।

(ग) इसके अतिरिक्त, प्रथम स्तरीय जांच के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा यादृच्छिक रूप से चुने गए 5% ईवीएम पर उनके द्वारा कम से कम 1000 वोट डाले जाते हैं। ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच के समय कम से कम 5% ईवीएम पर इस माँक पोल के परिणामों का एक प्रिंट आउट तथा माँकपोल के दौरान डाले गए प्रत्येक मत का आनुक्रमिक प्रिंट आउट लिया जाता है तथा राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को दिखाया जाता है। इस प्रयोजन के लिए राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को यादृच्छिक रूप से मशीनें चुनने की अनुमति दी जाती है। शेष मशीनों में, माँकपोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए संतोषजनक होती है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को स्वयं माँक पोल करने की अनुमति होती है। जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा इन सभी का रिकार्ड रखा जाता है।

(घ) तत्पश्चात् रखे गए ईवीएम को मतदान केन्द्रों में वितरित करने से पूर्व अभ्यर्थियों तथा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा दो बार यादृच्छिकीकृत किया जाता है, एक बार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मशीनों को आबंटित करने के लिए तथा दूसरी बार मतदान केन्द्रों में आबंटित करने के लिए। किसी विशेष मतदान केन्द्र को आबंटित ईवीएम की क्रम संख्या वाले ईवीएम की ऐसी सूचियों को राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जाता है।

- (ड) अभ्यर्थियों तथा उनके प्रतिनिधियोंको अभ्यर्थी सेटिंग के समय तथा मतदान के दिन वास्तविक मतदान से पूर्व भी ईवीएम पर मॉक पोल कराने की अनुमति दी जाती है ताकि वे प्रयोगकर्ता रहे ईवीएम की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हो सकें।
- (च) अभ्यर्थी सेटिंग होने के पश्चात, ईवीएम के बैलेट यूनिट को भी ग्रेड/पिक पेपर की लकीरों से मुहरबंद कर दिया जाता है ताकि बैलेट यूनिट के भीतर किसीको ईंट ख न सके। इन टर्पिक की लकीरों पर भी राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होते हैं।
- (छ) ईवीएम की तैयारी तथा अभ्यर्थी सेटिंग के दौरान कम से कम 5% ईवीएम का मॉक टोल के परिणामों का प्रिन्ट आउट तथा मॉक टोल के दौरान डाले गए प्रत्येक वोट का आनुक्रमिक प्रिन्ट आउट भी लिया जाता है तथा इन्हें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दिखाया जाता है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इस प्रयोजन के लिए यादृच्छिक रूप से मशीन चुनने की अनुमति दी जाती है।
- (ज) मतदान के दिन अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों को मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर लेकर उनकी उपस्थिति में प्रत्येक मतदान केन्द्र में कम से कम 50 वोट डाल कर एक मॉक टोल आयोजित किया जाता है और प्रत्येक पीठासीन अधिकारी से इस आशय का एक मॉक टोल प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है।
- (झ) मॉक पोल के समाप्त होने के बाद मतदान के संचालन के लिए प्रयोग किए जाने वाले ईवीएम को छोड़कर ईवीएम पर दूसरे ग्रेड सील तथा सील पेपर की लकीरों से मॉक टोल के सभी बटनों पर पहुंच कोट रोक जा सके। इन पेपर सीलों और धागा सीलों को मतदान एजेंट द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की अनुमति है। मतदान पूरा हो जाने के बाद पीठासीन अधिकारी मतदान एजेंट की उपस्थिति में ईवीएम पर 'क्लोज' बटन दबाता है। उसके बाद ईवीएम में कोई मत नहीं डाला जा सकता है।
- (ञ) इसके पश्चात पूरे ईवीएम को सील कर दिया जाता है। अभ्यर्थियों और उनके एजेंटों को सील पर उनके हस्ताक्षर करने दिया जाता है। जिनकी वे गणना से पहले सील की अखण्डता के लिए जांच कर सकते हैं। अभ्यर्थी प्रतिनिधि मतदान केन्द्र से गणना भंडारण कक्ष तक ईवीएम को ले जाते हैं। वाहनों के पीछे पीछे चलते रहते हैं।
- () इसके अतिरिक्त गणना के लिए ईवीएम का भंडारण किए गए स्ट्रॉंग रूम को भी सील कर दिया जाता है और वीबीसों के उसकी निगरानी की जाती है। अभ्यर्थियों और उनके प्रतिनिधियों को स्ट्रॉंग रूम पर उनकी लकीरों लगाने की अनुमति दी जाती है। इन्हें भी स्ट्रॉंग रूम पर वीबीसों निगरानी रखने की अनुमति दी जाती है। भंडारण कक्षों के चारों ओर बहु स्तरीय सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं।
- (ट) सभी राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों को एफएलसी, मतदाता से पहले ईवीएम की तैयारी, छद्म मतदान आदि में भाग लेने का अवसर दिया जाता है।

10. वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी)

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों के परामर्श से वर्ष 2010 में वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) का प्रयोग शुरू करने पर विचार किया। वीवीपीएटी को आरंभ करने का तात्पर्य था कि एक पेपर की पर्ची द्वारा की जाती है जिसमें कंट्रोल यूनिट में मतदान को रिकार्ड करने के साथ साथ अभ्यर्थी का नाम और चिह्न भी आ जाता है, ताकि किसी विवाद की स्थिति में ईवीएम पर

दिखाए जा रहे परिणाम की जांच करने के लिए एलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा। वीवीपीएटी के अन्तर्गत एक प्रिंटर को बैलेट यूनिट के साथ संलग्न किया जाता है और उसे मतदान कक्ष में रख दिया जाता है। पारदर्शी खिड़की के माध्यम से एलेक्ट्रॉनिक वीवीपीएटी पर 7 सेकंडों के लिए दिखायी जाती है वीईएलईसीआईएल द्वारा बनाए गए वीवीपीएटी के डिजाइन को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 2013 में अनुमोदित किया गया था और उन लोगों में दिखाया गया था जो उच्चतम न्यायालय में इन मामलों का अनुसरण कर रहे थे। नियमों का संशोधन किया गया। भारत निर्वाचन आयोग ने वीवीपीएटी का प्रयोग वर्ष 2013 में नागालैंड उपचुनाव में किया, जो अत्यधिक सफल रहा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने वीवीपीएटी को चरणों में शुरू करने का आदेश दिया तथा प्रापण के लिए सरकार को निधियां स्वीकृत करने के लिए कहा।

इस संबंध में वर्ष 2014 में आयोग ने वर्ष 2019 में होने वाले लोक सभा के अगले साधारण निर्वाचन में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर वीवीपीएटी के कार्यान्वयन को प्रस्तावित किया तथा सरकार से रु. 3174 करोड़ की निधि की मांग की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आयोग को चरणबद्ध तरीके से वीवीपीएटी का कार्यान्वयन करने की अनुमति दी।

माननीय उच्चतम न्यायालय में चल रहे मामले में आयोग ने मार्च 2017 में उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि आयोग सरकार द्वारा निधियों के अवमुक्त होने के समय से 30 महीने के समय में निर्मित वीवीपीएटी की अपेक्षित संख्या प्राप्त कर लेगा।

भारत निर्वाचन आयोग वर्ष 2013 में 20,000 वीवीपीएटी का सक्षम तथा अब से 143 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त वीवीपीएटी के आगे उपयोग के लिए वर्ष 2016 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया द्वारा 33,500 वीवीपीएटी का निर्माण किया गया था। अब तक 255 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा 49 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का उपयोग किया गया है। गोवा निर्वाचन 2017 में वीवीपीएटी सभी 40 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में नियोजित की गई थी। भारत निर्वाचन आयोग ने चार राज्यों में हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित एलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग 52,000 वीवीपीएटी नियोजित किए। वर्ष 2014 से भारत निर्वाचन आयोग वीवीपीएटी की अपेक्षित संख्या के लिए रु. 3174 करोड़ की निधि की मांग की तथा अवमुक्ति के लिए सरकार के साथ लगातार सम्पर्क कर रहा है ताकि वे लोक सभा के साधारण निर्वाचन 2019 में सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में उपयोग की जा सकें।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया था कि आयोग ने निर्वाचनों में ईवीएम की त्रुटि-मुक्त कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित व्यापक कनिष्क एवं प्रशासनिक तंत्र का उपयोग किया है। अतः आयोग ईसीआई-ईवीएम की छेड़छाड़ रहित कार्य प्रणाली को पूर्णतः संतुष्ट है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि ऐसे आरोप तथा संदेह पहली बार नहीं उठाए गए हैं। यहां तक कि पूर्व अवसरों पर आयोग ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किए जाने के आरोप लगाने वालों को एक से अधिक बार अवसर प्रदान किया है परंतु कोई भी आयोग के समक्ष यह प्रदर्शन करने में असमर्थ नहीं हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम और देश की निर्वाचन प्रक्रिया में उपयोग की गई ईवीएम में कोई हेरफेर या उससे कोई छेड़छाड़ की जा सकती है। आयोग को इन आरोपों में कोई भ्रम नहीं मिली है और वह कुछ राजनैतिक दलों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों और व्यक्त संदेहों का खंडन करता है।

भारत निर्वाचन आयोग सभी नागरिकों को आश्वस्त करता है कि भारत निर्वाचन आयोग की इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों से छेड़छाड़/गड़बड़ी नहीं की जा सकती एवं इन मशीनों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया की सत्य निष्ठासे वह पूर्णतरहसंतुष्ट है। आयोग चरणबद्धरूप से वीवीपीएटी का उपयोग करते हुए अपनै इसट निर्वाचन प्रक्रिया में नागरिकों के विश्वास को ओर मजबूत करेगा।

इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग में हाल ही में सम्पन्न निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ईवीएम सेट कथित छेड़छाड़/गड़बड़ी के बारे में किसी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी से कोई विशिष्ट शिकायत अथवा टोसट सामग्री/साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। इस स्थिति में आधारहीन अव्यवहारिक एवं काल्पनिक आरोप लगाए जा रहे हैं जो खण्डित व कि ए जाने लायक हैं। फिर भी यदि भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष वास्तविक स्थितियों से अहित कोई आरोप स्तुत किया जाता है तो प्रशासनिक आधारों पर पूर्ण गंभीरतासे उसकी जांच की जाएगी।

निर्वाचन आयोग बल देकर कहता है कि इसकी सदैव हस्तक्षेपण और सम्पूर्ण संतुष्टि है कि ईवीएम सेट गड़बड़ी नहीं की जा सकती है वर्ष **2004, 2009** और **2014** में देश भर में हुए साधारण निर्वाचनों से अहित पिछले कई वर्षों में निर्वाचनों के संचालन के दौरान मशीनों में इसका विश्वास तो डगमगाया है और न ही कभी कम हुआ है। वास्तव में, आज तक यह कोई भी प्रदर्शित नहीं कर पाया है या सिद्ध नहीं कर पाया है कि आयोग द्वारा उपयोग में लाई गई ईवीएमों में कोई गड़बड़ या छेड़छाड़ की जा सकती है। जो कुछ भी दर्शित किया गया था प्रदर्शित करने का दावा किया गया है वह प्राइवेट रूप से तैयार की गई "भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम जैसी दिखने वाली मशीन" पर व्याप्त कि आयोग की वास्तविक ईवीएम पर। तथापि भारत निर्वाचन आयोग के अपने मुख्यालय में निर्वाचन संचालन के किसी भी पहलू पर थोड़ा सा भी संदेह न होने देने एवं किसी भी स्थान पर किसी की आशंका को दूर करने की अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए वर्ष **2009** में मशीनों के उपयोग का अपेक्षित प्रदर्शन करने जैसा विशेष कदम उठाया था।

आज आयोग एक बार फिर अपने इस विश्वास की पुष्टि करता है कि ईवीएम पर हर तरहसे विश्वसनीय है। सदैव की भांति इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है।
